ग्राम पंचायत टम्बर, विकास खण्ड लम्बागांव जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176095 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत टम्बर, विकास खण्ड लम्बागांव, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संचालित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती नेहा वर्मा	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री संजीव कुमार	01.04.2022 से 28.04.2022
2	श्री वरिन्द्र मेहरा	28.04.2022 से 14.07.2022
3	श्री अजय कुमार	15.07.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री विनोद कुमार	01.04.2022 से 30.04.2022
2	श्रीमती पूनम	30.04.2022 से 30.11.2022
3	विशाल कटोच	01.12.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती सुषमा देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत टम्बर के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0 सं0	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	3.80
2	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	19.34
3	6.2	शेष अनुदान राशियों का सभा निधि में अनुचित हस्तांतरण	5.77
4	7.1	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.76
5	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.01
6	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना	0.49
7	8.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	8.43
8	8.3	खनन सामग्री बिलो के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान करने बारे	2.11
9	9.1	आमन्त्रित निविदाओं में अनुमोदित न्यूनतम दर अनुसार भुगतान न करके अधिक भुगतान करना	0.20
10	9.2	माप—पुस्तिका में गलत गणना के फलस्वरूप अधिक भुगतान करना	0.10
11	11	निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे	8.34

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत टम्बर का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018, तथा 01/04/2020 से 31/03/2022 के लिये किया गया था जिनके शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित हैः—

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	4.1	अनिर्णीत	—
2.	4.2	अनिर्णीत	—
3.	4.3	अनिर्णीत	—
4.	5	अनिर्णीत	—
5.	6	अनिर्णीत	—
6	7	अनिर्णीत	—
7	8	अनिर्णीत	—
8	9	अनिर्णीत	—
9	10	अनिर्णीत	—
10	11	अनिर्णीत	—
11	12	अनिर्णीत	—
12	13	अनिर्णीत	—
13	14	अनिर्णीत	—
14	15	अनिर्णीत	—
15	16	अनिर्णीत	—

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2020 से 31/03/2022 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क की सम्बन्धित मांग व प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ संख्या 213 से पुष्टि उपरान्त
2.	4.1 (क,ख)	अनिर्णीत	—
3.	4.2	अनिर्णीत	—
4.	4.3	अनिर्णीत	—
5.	5	अनिर्णीत	—
6	6.1	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।
7	6.2	अनिर्णीत	—

8	7	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।
9	8.1,8.2,8.3	अनिर्णीत	—
10	9.1,9.2,9.3	अनिर्णीत	—
11	10.1,10.2	अनिर्णीत	—
12	10.3	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।
13	11	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत टम्बर के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 02.12.2024 से 09.12.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2022—23	03/2023	01/2023
2023—24	03/2024	03/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/— आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र

प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2024/614 दिनांक–09.12.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 **(क) वित्तीय स्थिति:–**

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2024/598 दिनांक:–02.12.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है:–

1.स्वः–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	517973.50	460408.00	978381.50	572767.00	405614.50
2023-24	405614.50	308531.00	714145.50	393888.00	320257.50

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	2808135.33	2036009.36	4844144.69	3372612.36	1471532.33
2023-24	1471532.33	3173838.76	4645371.09	2711778.76	1933592.33

कुल योग (1+2)320257.50+1933592.33=**2253849.83**

नोटः– सभा निधि/5th SFC अनुदान का संचालन संयुक्त रूप से खाता संख्या (20019005089) में किया गया है। अतः दिनांक 01.04.2022 को सभा निधि व 5th FC का अथशेष (444701.5 + 73272) ₹517973.5 एक मुश्त लिया गया है।

(ख). बैंक समाधान विवरणी:–

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹22,53,849.83 तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि **"परिशिष्ट–3"** के अनुसार अन्तशेष ₹26,34,196.29 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार है:–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र.	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वःस्त्रोत / 5वां वित	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	20019005089	653680.78
2	एस.डी.पी	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50058330723	130512.00
3	वी.के.वी.एन.वाई	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50058330734	676563.00
4	ए.ए.वाई	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	20019045523	0
5	आर.ए.वाई	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50059698549	0
6	एम.एम.ए.जी.पाई	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50061163972	0
7	एम.पी.लेड	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50058330789	0
8	जी.आर.डी.वाई	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50058330983	0
9	14वॉं वित्त	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50058330712	0
10	15वॉंवित्त / पी.एस / जेड.पी	यूको•बैंक लम्बागांव	10680100036167	1173440.51
	हस्तगत शेष (ऑनलाईन रोकड़ बही के अनुसार)			0
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः–				₹2634196.29
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–				₹2253849.83
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेषः–				₹2634196.29
अन्तरः–				380346.46

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

4(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातो के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंकेक्षण में राशि ₹3.80 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत टम्बर द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹380346.46 का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया

गया है। उक्त अनियमितता से संबंधित आपत्ति को गत अंकेक्षण में भी विभाग द्वारा उठाया गया था, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/600 दिनांकः—03.12.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—004 दिनांकः—09.12.2024 द्वारा दिया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार वर्तमान में अन्तर का शीघ्रतिशीघ्र मिलान करके, भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) स्कीम वाईज खाते न खोलने बारेः—

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच—एच.ए (5) सी (15) —(13) (एल) 5—47005—81 दिनांक—15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत टम्बर के बैंक खातो के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते स्कीम वाईज नहीं खोले गये थे। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वःस्त्रोत, 5वां वित आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमो एवं निर्देशो के विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 20019005089 खोला गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है एवं नियमों/निर्देशों के विपरीत होने के कारण आपत्तिजनक है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/613 दिनांकः—09.12.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या—004 दिनांकः—09.12.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि शीर्ष वाईज खातो का अनुसंधारण दिया कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार स्कीम वाईज खातों का संचालन न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार व समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशो अनुसार ही बैंक खातों का रख—रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ड.) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करना :—

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप—7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अवधि 2022–23 की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान उक्त अवधि के चयनित मास के व्यय वाउचरो से इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यो हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं:–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं0/दिनांक	बिल स0/दिनांक, मस्ट्रोल सं0	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	14वां वित	पी/13,14,22,33/30.01.2023	मस्ट्रोल–6526,00157,00576,00577,00578/21.03.2022,30.04.2022	निर्माण कम्पलीशन जीपयोग्य सडक महिला मण्डल भवन से कुशल के घर तक वार्ड–4	183562
2	14वां वित	पी/15,20,21,27/31.01.2023	00227/22.03.2022/ मस्ट्रोल–6530,00610,00229/30.04.2022,14.05.2022	निर्माण रास्ता मुख्य सडक से रोपडी की ओर वार्ड–5	152780
3	14वां वित	पी/16,18,19/30.01.2023	00175/22.03.2022, मस्ट्रोल–6529,006111	निर्माण रास्ता सिर्दुल के घर से कंचन के घर की ओर	101605
4	14वां वित	पी/23,28,29,30/30.01.2023	346,00245,00201/03.10.2022,05.12.2022,09.12.2022, मस्ट्रोल–6533	निर्माण जीपेवल रोड बिहारी लाल के घर से पलाखर भाग–2	199250

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व अनुदानो से प्राप्त की गई आय की भी लेखा खाता/खाता बही के अभाव में वास्तविक प्राप्तियों की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी, जोकि अनियमित तथा आपतिजनक है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/613 दिनांकः–09.12.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 004 दिनांकः–09.12.2024

द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अवधि की खाता बहियों/लेखा खातों को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा वर्तमान अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निवेश न करने बारेः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त ,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियो को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्टीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के मुख्य निधि खाते में अंकेक्षणवधि के दौरान ₹5,30,394.78 से ₹6,53,680.78 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनो की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पडा है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना सख्यां राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/613 दिनांकः 09.12.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पँचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या.004 दिनांक 09.12. 2024 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा निवेश की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप—1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6.1 अनुदान की राशि ₹19.34 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियो को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/598 दिनांकः—02.12.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि [redacted]**1 व**

परिशिष्ट–2 पर संलग्न है ,के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹19,33,592.33 की राशि उपयोग हेतु शेष थी:–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	वी.के.वी.वाई.एन	31.03.2024	720611
2	एम.पी.लेड	31.03.2024	5745
3	एस.डी.पी	31.03.2024	132400
4	जी.आर.डी.वाई	31.03.2024	49035
5	आर.ए.वाई	31.03.2024	455
6	ए.ए.वाई	31.03.2024	3420
7	एम.एम.ए.जी.वाई	31.03.2024	66169
8	पी.एस	31.03.2024	2315
9	14वाँवित्त	31.03.2024	.148531.18
10	15वाँवित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2024	1101973.51
		कुल जोड	**1933592.33**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है।

इस शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/601 दिनांक–04.12.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र 004 दिनांक:–09.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्येश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

6.2 14वां वित व अन्य योजनाओं के अंतर्गत शेष बची राशि ₹5.77 लाख को ग्राम पंचायत द्वारा सभा निधि में अनियमित हस्तांतरण करने बारे :–

विशेष सचिव (RD&PR) हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्या No.I/518921/2024 PCH-HC(1) e-PRI दिनांक 21.11.2024 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार 14वें वित के अंतर्गत ई–ग्रामस्वराज पोर्टल पर व्यय करने की समयबद्धता को 31 मार्च 2025 तक बढा दिया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "8"** के अनुसार 14वां वित से ₹447070 तथा अन्य योजनाओं से ₹130175 व कुल मिलाकर ग्राम पंचायत के बैंक खातो में बची शेष राशि (₹447070+130175) ₹577245/— का हस्तांतरण सभा निधि में किया गया है, जोकि उक्त दिशा निर्देशों की अवहेलना है। इसके अतिरिक्त उक्त हस्तांतरित राशि से संबंधित फण्ड हस्तांतरण आदेश या सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेशो से संबंधित अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/612 दिनांकः—09.12.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—004 दिनांकः—09.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त हस्तांतरण आदेशो बारे विभाग के उच्चाधिकारियो से चर्चा उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युंतर निर्देशों के विपरीत एवं तथ्यसहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त किये गए अनियमित हस्तांतरण बारे सम्पूर्ण समर्थित अभिलेखों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त राशि को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फण्ड हस्तांतरण आदेशो उपरान्त ही हस्तांतरण करना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.3 14वाँ वित्त अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से राशि ₹1.48 लाख का अधिक व्यय करनाः—

निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 शिमला—9 के पत्र संख्या पी0सी0एच0—एच0ए0(5)सी(15)313/89—23504—26746 दिनांक 16.07.2010 के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा धन राशि के प्रयोग करने हेतु जारी मार्गदर्शनानुसार अनुदान राशि से अधिक व्यय किसी भी अवस्था में न किया जाए।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट—2** के अनुसार, दिनांक 31.03.2024 तक निम्न तालिका में दर्शाए शीर्ष 14वाँ वित्त के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की अपेक्षा ₹148531.18 का अधिक व्यय किया गया दर्शाया गया था, जोकि एक अनियमिता हैः—

क्र0सं0	अनुदान	खाता संख्या	अधिक व्यय
1	14वाँ वित्त	50058330712	148531.18

अतः निदेशक, पंचायती राज विभाग के मार्गदर्शन की उल्लंघना करते हुये उपरोक्त अनुदान के अन्तर्गत किये गये अधिक व्यय बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित

स्त्रोत से करके सम्बन्धित खाते में जमा करना सुनिश्चित किया जाए व यथास्थिति कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

7.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.76/– लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज ;वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्तेद्ध नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के पराटेय/अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/598 दिनांकः–02.12.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹75690/–** की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की इतनी अधिक राशि का पंचायत द्वारा बिना पर्याप्त कारणों के शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/602 दिनांकः–04.12.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–004 दिनांकः–09.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके, भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.2 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.01/– लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः– 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070–60–108–01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/598 दिनांकः—02.12.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना व निम्न तालिका के अनुसार ग्राम पंचायत टम्बर द्वारा वर्ष 2023—24 के दौरान ₹1400 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई ,परन्तु उसे सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः—

क्र0सं0	**वित्तीय स्थिति**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि (₹)**
1	2023—24	1400

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/602 दिनांकः—04.12.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत टम्बर के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या—004 दिनांकः—09.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.49 लाख के स्टॉक का क्रय करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश ,निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत टम्बर के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा, संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार ₹48543/— का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था।

पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/603 दिनांकः—06.12.2024 द्वारा उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—004

दिनांकः—09.12.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹8.43 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत टम्बर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट—"6"** पर संकलित राशि ₹8,43,180.10 के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/604 दिनांकः—06.12.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—004 दिनांकः—09.12.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्यरहित एवं नियम प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का पारदर्शी इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 खनन सामग्री बिलो के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹2.11 लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः—

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81—ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-

General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा/उपलब्ध करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/599 दिनांकः–02.12.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "7"** पर संलग्न सूचना व नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि की वैध स्त्रोत से आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹210590/– का अनियमित भुगतान किया गया एवं पूर्वोक्त नियम ,प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि के चयनित मासो में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/607 दिनांकः–07.12.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–004 दिनांकः–09.12.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त व्यय वैध टांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही किया गया है व उक्त व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है। वर्तमान समय से उक्त फॉर्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया किया जा रहा है, प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। क्योंकि उक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमों के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानो को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा ऐसे सभी प्रकरणों को संबंधित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

9.1 आमन्त्रित निविदाओं में अनुमोदित न्यूनतम दर अनुसार भुगतान न करके, अधिक दर से ₹0.20 लाख का अधिक भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान का वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

पंचायत द्वारा निर्माण कार्यो के लिये सामग्री खरीदने हेतु आमन्त्रित टैंडरों के उत्तर में प्राप्त चार निविदाओं में मै0 नेशनलस टाईल्स एण्ड कंस्टक्शन दारला सुजानपुर द्वारा तीन मदो कैशर रेत, कैशर बजरी, शटरिंग हेतु ₹38 प्रति घन फुट, 35 प्रति घन फुट व ₹16/– प्रति वर्ग फुट तथा मै0 प्रदीप सिंह भुंग टम्बर द्वारा ₹47 प्रति घन फुट, 46 प्रति घन फुट व ₹25/– प्रति वर्ग फुट तथा मै0 राकेश चन्द मिन्हास हलेड जयसिंहपुर द्वारा ₹50 प्रति घन फुट, 40 प्रति घन फुट व शेटरिंग की कोई दर नहीं दी गई तथा मै0 गुरमीत सिंह ठाकुर टम्बर द्वारा ₹39 प्रति घन फुट, 36.50 प्रति घन फुट व ₹20/– प्रति वर्ग फुट दी गई थी। स्पष्ट रूप से इसमें से मै0 नेशनलस टाईल्स एण्ड कंस्टक्शन दारला सुजानपुर द्वारा दी गई दरे ₹38/– तथा 35/– व 16/– ही न्यूनतम है।

नमूना अंकेक्षण में वाउचरों का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा 14वां वित अनुदान के अंतर्गत निम्नविवरणानुसार उक्त मदो का क्रय मै0 नेशनलस टाईल्स एण्ड कंस्टक्शन दारला सुजानपुर के स्थान पर मै0 प्रदीप सिंह भुंग टम्बर को उनके द्वारा दी गई दरो से भी अधिक दरो से ,भुगतान किया गया। आमन्त्रित निविदाओं में अनुमोदित न्यूनतम दर अनुसार भुगतान न करके ,अधिक दर पर राशि ₹20355/– का अधिक भुगतान किया गया था, जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितता है।:–

अनुदान	वाउचर स0/ दिनांक/ बिल स0	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	न्यूनतम व अपेक्षित दर से भुगतान (₹)	किया गया भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1.14वां वित	पी/14/30. 01. 2023/00157	मै प्रदीप सिंह भुंग टम्बर	रेत कैशर बजरी कैशर	14440 (380cft@38) 9100 (260cft@35)	19760 (380cft@52) 12480 (260cft@48)	5320 3380
2.14वा वित	पी/15/30. 01. 2023/00227	मै प्रदीप सिंह भुंग टम्बर	रेत कैशर बजरी कैशर शेटरिंग	8588 (226cft@38) 7595 (217cft@35) 3984 (249sqf@16)	11752 (226cft@52) 10416 (217cft@48) 5229 (249sqf@21)	3164 2821 1245
3.14वां वित	पी/16/30. 01. 2023/00175	मै प्रदीप सिंह भुंग टम्बर	रेत कैशर बजरी कैशर शेटरिंग	6650 (175cft@38) 2625 (75cft@35) 3200 (200sqf@16)	9100 (175cft@52) 3600 (75cft@48) 4200 (200sqf@21)	2450 975 1000
कुल योग						**₹20355**

उक्त किये गए अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/608 दिनांकः–07/12/2024 के अंतर्गत पंचायत सचिव टम्बर के ध्यानांर्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसकी वसूली रसीद सख्यां 205896 द्वारा करने उपरान्त, खाता संख्या 20019005089 में दिनांक 16.12.2024 को जमा करवा दिया गया है। जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है, जिसे सम्बन्धित अनुदान शीर्ष में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अतः ऐसे अन्य मामलों की विभागीय स्तर पर जाँच कर यथास्थिति कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

9.2 मनरेगा अनुदान से निर्माण कार्य के लिये माप–पुस्तिका में गलत गणना द्वारा सामग्री खरीद हेतु ₹0.10 लाख का अधिक भुगतान करनाः–

चयनित मास 01/2023 के वाउचर संख्या 101 दिनांक 11.01.2023 व बिल संख्या 192 द्वारा निम्न निर्माण कार्य को करवाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा 128 सीमेंट बैग की खरीद की गई थी।

जिसके अंकेक्षण के सन्दर्भ में निर्माण कार्य रास्ता डाक घर से लेकर टासफार्मर तक वार्ड–5 की रिकार्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 5040 के पृष्ठ संख्या 40,41 व 42 में कार्य की वास्तविक मात्रा दर्शाई निष्पादित कार्य मात्रा से निम्नानुसार कम पाई गई जिसके परिणामस्वरूप 25 बैग सीमेंट की अधिक खप्त निम्न विवरणानुसार दर्शाई गई थीः–

मद.स.	निष्पादित मात्रा	वास्तविक मात्रा	अन्तर
5	P/L C/C 1:3:6(1cement:3sand:6agg)excluding the cost of formwork 15x(1.50+1.55/2)x(0.10+0.075/2)=2.00 15x(1.55+1.60/2)x(0.10+0.075/2)=2.95 15x(1.60+1.70/2)x(0.10+0.075/2)=3.09 15x(1.70+1.65/2)x(0.10+0.075/2)=3.04 15x(1.65+1.70/2)x(0.10+0.075/2)=3.14 15x(1.70+1.50/2)x(0.10+0.075/2)=3.60 5x(1.50+1.45/2)x(0.10+0.075/2) =0.73 For small drain 20x0.15x(0.15+0.20/2) = <u>0.52</u> Total 19.07 (ii) New R.D 15x(1.25+1.30/2)x(0.10+0.075/2)=1.67 15x(1.30+1.30/2)x(0.10+0.075/2)=1.67 15x(1.30+1.40/2)x0.10 =2.02 15x(1.40+1.75/2)x(0.10+0.075/2)=2.06	P/L C/C 1:3:6(1cement:3sand:6agg)excluding the cost of formwork 15x(1.50+1.55/2)x(0.10+0.075/2)=2.00 15x(1. 60+1.70/2)x(0.10+0.075/2)=2.17 15x(1.70+1.65/2)x(0.10+0.075/2)=2.20 15x(1.65+1.70/2)x(0.10+0.075/2)=2.20 15x(1.70+1.50/2)x(0.10+0.075/2)=2.10 5x(1.50+1.45/2)x(0.10+0.075/2)=0.65 For small 55+1.60/2)x(0.10+0.075/2)=2.07 15x(1. drain 20x0.15x(0.15+0.20/2) = <u>0.52</u> Total 13.91 (ii) New R.D 15x(1.25+1.30/2)x(0.10+0.075/2)=1.67 15x(1.30+1.30/2)x(0.10+0.075/2)=1.70 15x(1.30+1.40/2)x0.10 =2.02	5.13 m3

	12x(1.75+1.65/2)x0.10 =2.04 Total Qnty =28.53m3	15x(1.40+1.75/2)x(0.10+0.075/2)=2.06 12x(1.75+1.65/2)x0.10 =2.04 Total Qnty =23.40m3	

मद.स.	मद का नाम	निष्पादित मात्रा	खप्त योगय सामग्री	खप्त की गई सामग्री	अंतर	दर	राशि
5	P/L(1:3:6)	28.53 m3	103 बैग	128बैग	25	392.15	9804

1. Item-3 P/L(1:3:6)-Assessment Qty.(Worng Calculation)taken as per MB =28.53m3

Actual Assessment =23.40m3

Difference(ExcessTaken) =5.13m3

उक्त अनियमितता के दृष्टिगत किये गए भुगतान को नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/609 दिनांकः–07.12.2024 के अंतर्गत पंचायत सचिव को सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–004 दिनांकः–09.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त संबंधित शीर्ष में जमा करवा दी जाएगी व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अधिक किये गए भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित शीर्ष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा उपरोक्त गलत गणना के फलस्वरूप अन्य निर्माण सामग्री एवं मजदूरी पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण हुये अन्य अधिक भुगतान राशि की भी वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु यह भी सुझाव दिया जाता है माप–पुस्तिकाओं में नियमानुसार एवं समय–2 पर जारी दिशा निर्देशोंनुसार उच्च तकनीकी अधिकारियों के नमूना परीक्षण व जांच उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.3 अग्रिम भुगतान राशि ₹0.16/– लाख समायोजन हेतु शेष पाया जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फॉर्म–9 में अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करने उपरान्त किये गए अग्रिमों का वितीय वर्ष के अन्त में समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरपोरेशन को सीमेंट के क्रय हेतु निम्न विवरणानुसार राशि ₹15874/– का अग्रिम प्रदान किया गया था, लेकिन 31.03.2024

तक उक्त राशि का समायोजन नहीं किया गया था तथा उसके समायोजन से संबंधित अभिलेख को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गयाः–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर / दिनांक / बिल संख्या	आपूर्तिकर्ता	समग्री	मात्रा / अग्रिम भुगतान	दर / समायोजित राशि	असमा– योजित राशि
1	15वां वित	पी / 29 / 15. 03. 2024 / 213	मै0 हि0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशनलम्बागांव	सीमेंट बैग	40	382	15280
2	सभा निधि	पी / 10 / 15. 03. 2024 / 266	मै0 हि0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशनलम्बागांव	सीमेंट बैग	11904 (32@ 372)	11310 (30@377)	594
						कुल जोड	**15874**

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 606 दिनांकः–06.12.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–004 दिनांकः– 09.12. 2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि हि0प्र0 सिविल सप्लाई को सीमेंट खरीदने हेतु किये गये अग्रिम भुगतान के समायोजन से संबंधित अभिलेख को तैयार कर लिया जाएगा तथा उक्त बारे सिविल सप्लाई लम्बागांव से पत्राचार करने उपरान्त इसका समायोजन कर लिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरपोरेशन को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करें तथा नियमानुसार अग्रिम समायोजन रजिस्टर को भी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 कार्यालय उपयोग हेतु एच.पी लेपटॉप प्रोबुक को दर संविदा अथवा जेम पोर्टल व हिमाचल प्रदेश राज्य इलेट्रोनिक कारपोरेशन से न क्रय करके खुले बाजार से क्रय द्वारा ₹0.48 लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश सरकार वित विभाग के पत्र संख्या Fin (C)A(3) 5/2004 दिनांक 12. 02.2020 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार, सरकारी विभाग के कार्यालय उपयोग हेतु सामग्री की खरीद भंडार नियंत्रक द्वारा निर्धारित दर संविदा से अथवा कीमत कम होने की स्थिति में जेम पोर्टल से की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त जेम पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं या सेवाओं के लिए विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद अनिवार्य होगी तथा जिन वस्तुओं के लिए दर अनुबंध को भंडार नियंत्रक द्वारा अंतिम रूप दिया गया है, उन्हें दर अनुबंध के माध्यम से खरीदा जाएगा हालांकि खरीद संस्था जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार, बोर्ड/ निगम क्षेत्र का सरकारी कार्यालय है जेम पोर्टल की वस्तुओं की उपलब्धता की भी जांच कर सकती

है और यदि जेम पोर्टल पर दरें कम पाई जाती हैं तो खरीद संस्था दरों की गुणवत्ता और वस्तुओं के विनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए जेम पोर्टल से वस्तुए खरीद सकती है,

चयनित मास 03/2024 के व्यय/वाउचरो के अकेंक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कार्यालय उपयोग हेतु सभा निधि से वाउचर संख्या पी/7 दिनांक 15.03.2024 तथा बिल संख्या 614 दिनांक 19.04.2023 द्वारा मै0 कंप्यूटर सॉलयूशन अप्पर लम्बागांव से एक नम्बर एच.पी लेपटोप प्रोबुक ₹47800 का क्रय भंडार नियंत्रक की दर संविदा से न करके व Gem Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना तथा हिमाचल प्रदेश राज्य इलेट्रोनिक कारपोरेशन शिमला से न करके खुले बाजार से किया गया था।

इसके अतिरिक्त क्रय से पूर्व संबंधित विभाग से ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। अतः उक्त के अभाव में किया गया व्यय उचित नहीं माना जा सकता। उक्त खरीदे गए लेपटोप की स्थायी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि भी नहीं की गई थी। जोकि अनियमित ही नहीं बल्कि आपतिजनक भी है।

उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/610 दिनांकः—07.12.2024 द्वारा अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—004 दिनांक 09.12.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त किये गए अनियमित भुगतान की प्रशासनिक स्वीकृति उच्च अधिकारी से प्राप्त कर ली जाएगी व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त किये गये व्यय को समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा यदि उपरोक्त व हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्टोनिकस कारपोरेशन शिमला द्वारा उक्त एच.पी लेपटोप प्रोबुक की दरे कम पाई जाती है , की पुष्टि उपरान्त अधिक किये गये भुगतान की वसूली उचित माध्यम से करके ग्राम पंचायत की निधि में जमा करवाई जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की खरीद संबंधित विभाग से करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

11 विभिन्न अनुदानो के अंतर्गत करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में राशि ₹8.34/— लाख के अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 01/2023 व 03/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार राशि ₹8,33,871/—का भुगतान किया

गया था, परन्तु निम्न निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कियें गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका:–

क्र0सं0 व अनुदान	वाउचर सं0 / दिनांक	बिल संख्या / दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान राशि (₹)	वांछित अभिलेख
1.14वा वित	पी / 13,14,22,33 / 30.01.2023	मस्ट्रोल–6526,00157,00576,00577,00578 / 21.03.2022,30.04.2022	निर्माण कम्पलीशन जीपयोग्य सडक महिला मण्डल भवन से कुशल के घर तक वार्ड–4	183562	बजट प्राक्क्लन,माप पुस्तिका,34–सी
2.14वा वित	पी / 15,20,21,27 / 31.01.2023	00227 / 22.03.2022 / मस्ट्रोल–6530,00610,00229 / 30.04.2022,14.05.2022	निर्माण रास्ता मुख्य सडक से रोपडी की ओर वार्ड–5	152780	माप पुस्तिका, 34–सी
3.14वां वित	पी / 16,18,19 / 30.01.2023	00175 / 22.03.2022, मस्ट्रोल–6529,006111	निर्माण रास्ता सिर्दुल के घर से कंचन के घर की ओर	101605	माप पुस्तिका, 34–सी
4.14वां वित	पी / 23,28,29,30 / 30.01.2023	346,00245,00201 / 03.10.2022,05.12.2022,09.12.2022, मस्ट्रोल–6533	निर्माण जीपेवल रोड बिहारी लाल के घर से पलाखर भाग–2	199250	बजट प्राक्क्लन ,माप पुस्तिका, 34–सी
5.14वां वित	पी / 24 / 30.01.2023	एल. टी–614 / 03.10.2022	वेक्टस पेडल बिन	87750	माप पुस्तिका
6.14वां वित	पी / 26 / 30.01.2023	097 / 26.02.2022	निर्माण शैड कोर्टयार्ड मझोटी कुआं वार्ड–5	20620	प्रस्ताव,माप पुस्तिका,34–सी

7.मनरेगा	95 / 18. 01.2023	242 / 10.12.2.22	निर्माण रास्ता विहाक से शेर सिंह के घर की ओर वार्ड–3	9888	माप पुस्तिका
8.वी.के.वी. वाई.एन	पी / 2 / 2 2.03.2024	408 / 02.03. 2024	निर्माण रास्ता मोक्षधाम की ओर वार्ड–2	29406	माप पुस्तिका, 34–सी
9.एस.डी. पी	पी / 5 / 2 2.03.2024	217 / 27.02. 2024	निर्माण सुरक्षा दीवार / आम रास्ता नजदीक गीताजंली पबलिक स्कूल वार्ड–4	49010	बजट प्राक्कलन ,प्रस्ताव,माप पुस्तिका, 34–सी
			कुल योग	**₹833871**	

वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत टम्बर से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 605 दिनांक:–06.12.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:– 004 दिनांक 09.12. 2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि निर्माण कार्यो से संबंधित अभिलेखो व माप–पुस्तिकाओं को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सचिव द्वारा अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है। जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यो सहित स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाएं।

12. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल / वाउचरों के नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा पैरा संख्या "9.1,9.2,9.3 व 11" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1.नियम 104(2)(1) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जॉच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.नियम 101(1)(सी) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की माप–पुस्तिका ,तकनीकी सहायक की कनिष्ठ अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता की सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी अपेक्षित है, जो कि नहीं की गई थी।

3.निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4.ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्ररूप–34, जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है ,उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की स्थिति सन्देहास्पद हो जाती है।

5.निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलों को ,किसी व्यक्तिगत निर्माण कार्य के लिये बनाई गई निर्माण समिति के सदस्यो द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/613 दिनांकः– 09.12.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत टम्बर को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–004 दिनांकः–09.12. 2024 द्वारा सूचित किया गया कि उपरोक्त अनियमितताओं की नियमानुसार अनुपालना कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा अंकेक्षण अवधि के चयनित मास के दौरान करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यो से संबंधित प्रपत्र–34 को भी तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यो सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

13 **नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करनाः–**

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/598 दिनांकः 09.12.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–004 दिनांकः–09.12.2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखो का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिससे कि लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है , जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**सन्दर्भित नियम**
1.	निवेश रजिस्टर	01	12

2.	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	अनुदान रजिस्टर (हि0प्र0पं0राज (सामान्य) नियम 1997)	8	34
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	……..	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	विकास कार्यों का निष्पादन रजि0	07	…………………….
12	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	……..	…………

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय

पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/598 दिनांकः—02.12.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—004 दिनांकः—09.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रत्युत्तर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नही पाया गया।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

15 अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः—

15.1 रसीद बुकों का अधूरा उपयोग करके रसीदें खाली छोड़ने बारेः—

आय के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा रसीद बुकों का अधूरा उपयोग करते हुये अंकेक्षणावधि में ही दो रसीद बुक में 51 रसीदें खाली छोड़ी गई थी जिनका विवरण निम्न तालिका में है। यह खाली रसीदें किस उद्देश्य से छोड़ी गई हैं इस बारे अँकेक्षण को कुछ भी स्पष्ट नही किया गया। अतः इस सन्देहजनक कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त इन खाली रसीदों का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर करके अनुपालना से अँकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रसीद बुक क्रमाँक	उपयोग की गई अन्तिम रसीद संख्या	खाली रसीदों की संख्या
1.	123701 से 123800	123755	45
2.	123801 से 123900	123894	6

15.2 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनरूप लेखों का रख—रखाव ग्राम पंचायत टम्बर द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत टम्बर के चयनित मासो 01/2023 व 03/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि मनरेगा वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/613 दिनांकः—09.12.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—004 दिनांकः—09.12.2024 द्वारा

स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से मनरेगा वाउचरो पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा हैं।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16 **लघु आपति विवरणिकाः**— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

17 **निष्कर्षः**— लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा—निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखों के रख—रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

12 4 FEB 2025 का॰ प्र॰ 1305—1309

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)213/2018—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लम्बागांव, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत टम्बर, विकास खण्ड लम्बागांव, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

का॰ प्र॰

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

ANNEXURE-1

FINANCIal POSITION OF GP TAMBER ,BLOCK LAMBAGAON DISTT KGR-176095 FOR THE YEAR 2022-2023 to 2023-24

1.OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	517973.50	460408.00	978381.50	572767.00	405614.50
2023-24	405614.50	308531.00	714145.50	393888.00	320257.50

2.GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	2808135.33	2036009.36	4844144.69	3372612.36	1471532.33
2023-24	1471532.33	3173838.76	4645371.09	2711778.76	1933592.33

नोट :- सभा निधि / 5th SFC अनुदान का संचालन संयुक्त रूप से खाता संख्या (200/9005089) में किया गया है अतः 1-4-2022 को सभा निधि व 5th FC का अवशेष (444701.5 + 73272) 517973.5 संयुक्त लिया गया है।

Pradhan / Secy
Gram Panchayat TAMBAR
Dev. Block Lambagaon
Distt. Kangra (H.P.)

27

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या -"6.1")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP TAMBER ,BLOCK LAMBAGAON ,DISTT KANGRA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	VKVNY	2022-23	114384.00	0.00	114384.00	0.00	114384.00
		2023-24	114384.00	726490.00	840874.00	120263.00	720611.00
2	MPLAD	2022-23	5745.00	0.00	5745.00	0.00	5745.00
		2023-24	5745.00	0.00	5745.00	0.00	5745.00
3	SDP	2022-23	123147.00	5400.00	128547.00	0.00	128547.00
		2023-24	128547.00	3853.00	132400.00	0.00	132400.00
4	GRDY	2022-23	49035.00	0.00	49035.00	0.00	49035.00
		2023-24	49035.00	0.00	49035.00	0.00	49035.00
5	RAY	2022-23	455.00	0.00	455.00	0.00	455.00
		2023-24	455.00	0.00	455.00	0.00	455.00
6	AAY	2022-23	3420.00	0.00	3420.00	0.00	3420.00
		2023-24	3420.00	0.00	3420.00	0.00	3420.00
7	MMAGY	2022-23	66169.00	0.00	66169.00	0.00	66169.00
		2023-24	66169.00	0.00	66169.00	0.00	66169.00
8	PS	2022-23	2315.00	0.00	2315.00	0.00	2315.00
		2023-24	2315.00	0.00	2315.00	0.00	2315.00
9	14TH FC	2022-23	1524412.82	2100.00	1526512.82	1675044.00	-148531.18
		2023-24	-148531.18	0.00	-148531.18	0.00	-148531.18
10	15TH FC/ZP/PS	2022-23	919052.51	945867.00	1864919.51	614926.00	1249993.51
		2023-24	1249993.51	345778.00	1595771.51	493798.00	1101973.51
11	MGNREGA	2022-23	0.00	1082642.36	1082642.36	1082642.36	0.00
		2023-24	0.00	2097717.76	2097717.76	2097717.76	0.00

Pradhan Secy
Gram Panchayat TAMBAR
Dev. Block Lambagaon
Distt. Kangra (H.P.)

28

परिशिष्ट—3 (पैरा 4.1 (20))

कार्यालय ग्राम पंचायत टम्बर विकास खण्ड लम्बागांव ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176095

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत टम्बर के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष –

क.	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	**बैंक शेष 01.04.22 को**	**बैंक शेष 31.03.24 को**
1	स्वःस्त्रोत / 5वां वित	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	20019005089	530394.78	653680.78
2	एस.डी.पी	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50058330723	123147.00	130512.00
3	वी.के.वी.एन.वाई	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50058330734	114384.00	676563.00
4	ए.ए.वाई	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	20019045523	3420	0
5	आर.ए.वाई	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50059698549	455	0
6	एम.एम.ए.जी.पाई	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50061163972	66169	0
7	एम.पी.लेड	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50058330789	5745	0
8	जी.आर.डी.वाई	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50058330983	49035	0
9	14वॉं वित्त	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50058330712	1524412.00	0
10	15वॉंवित्त / पी.एस / जेड.पी.	यूको•बैंक लम्बागांव	10680100036167	978778	1173440.51
11	हस्तगत शेष(संयुक्त ऑनलाईन रोकड.बही के अनुसार)			0	0
			कुल योग	**3395939.78**	**2634196.29**

Pradhan / Secy
Gram Panchayat TAMBAR
Dev. Block Lambagaon
Distt. Kangra (H.P.)

29

परिशिष्ट–4 (पैरा संख्या – "7.1")

कार्यालय ग्राम पंचायत टम्बर विकास खण्ड लम्बागांव ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176095

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2022–23 व 2023–24 में 583 परिवारों का रु 100/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2022–23	54340	583	100	58300	112640	54100	58540
2023–24	58540	583	100	58300	116840	41150	75690
	नोटः– दिनाँक 31.03.2024 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि **₹75690**/– है।						

Pradhan Secy
Gram Panchayat TAMBAR
Dev. Block Lambagaon
Distt. Kangra (H.P.)

30

परिशिष्ट–05 (पैरा संख्या –"7.2")

कार्यालय ग्राम पंचायत टम्बर विकास खण्ड लम्बागांव ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176095

विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानिः–

क.संख्या	अवधि	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि
1	2023–24	1400

Pradhan Secy
Gram Panchayat TAMBAR
Dev. Block Lambagaon
Distt. Kangra (H.P.)

31

परिशिष्ट–"6 " (पैरा संख्या – "8.1" व "8.2")

ग्राम पंचायत टम्बर विकास खण्ड लम्बागांव, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश ,स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना व औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना।

अनुदान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.14TH FC	P/14/30.01.2023	Sand(cft)	000157/21.03.2022	M/S Pardeep Singh Bhagoon Tamber	380	52	19760	रेत,बजरी की स्टॉक प्रविष्टिया नही की गई व सीमेंट ढुलाई की एक निविदा प्रस्तुत की गई
		Agg.(cft)			260	48	12480	
		Cement Carg.			52	29	1508	
2.14TH FC	P/15/31.01.2023	Sand(cft)	00227/22.03.2022	M/S Pardeep Singh Bhagoon Tamber	226	52	11752	स्टॉक प्रविष्टिया नही की गई
		Agg.(cft)			217	48	10416	
3.14TH FC	P/16/30.01.2023	Sand(cft)	00175/22.03.2022	M/S Pardeep Singh Bhagoon Tamber	175	52	9100	रेत,बजरी की स्टॉक प्रविष्टिया नही की गई व सीमेंट ढुलाई की एक निविदा प्रस्तुत की गई
		Agg.(cft)			75	48	3600	
		Cement Carg.			43	29	1247	
4.14TH FC	P/17/30.01.2023	Book case ,Rebolving Chair etc	172/18.08.2022	M/s Sood Steel Industry Maranda Kangra			48970	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
5.SF	P/33/30.01.2023	Plastic Chair with Cushion(Including GST)	171/18.08.2022	M/s Sood Steel Industry Maranda Kangra	6	4012	24072	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
6.SF	P/36/30.01.2023	Repairing of motherboard,Battery, Window Installation ,Software etc	429/18.09.2022	M/s Computer Solution Upper Lambagaon			8750	स्टॉक प्रविष्टियां व निविंदाये प्रस्तुत नहीं की गई
7.14TH FC	P/19/30.01.2023	Interlock Tiles(40mm)Grey	00611/28.04.2022	M/s Sunny Bros Bijapur Jaisinghpur	1600	11.5	18400	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Interlock Tiles(40mm)Red			800	13.5	10800	
8.14TH FC	P/21/30.01.2023	Interlock Tiles(40mm)Grey	00610/30.04.2022	M/s Sunny Bros Bijapur Jaisinghpur	2400	11.5	27600	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Interlock Tiles(40mm)Red			1600	13.5	21600	
9.14TH FC	P/22/30.01.2023	60mm Doumble Red	00576/30.04.2022	do	1600	16.9	27040	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
10.14TH FC	P/23/30.01.2023	60mm Doumble Grey	00577/30.04.2022	do	3100	14.9	46190	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
11.14TH FC	P/33/30.01.2023	60mm Doumble Grey	00578/30.04.2022	do	3100	14.9	46190	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
12.14TH FC	P/23/30.01.2023	Cement Bag	346/03.10.2022	H.P civil supply Lambagaon	120	372	44640	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
13.14TH FC	P/24/30.01.2023	Vectus Pedal Bin	LT-614/03.10.2022	M/s Luxmi Trader Sullah Palmpur	225	390	87750	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
14.14TH FC	P/25/30.01.2023	Epson inktank Printer	449/03.10.2022	M/s Computer Solution Upper Lambagaon			18250	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
15.14TH FC	P/26/30.01.2023	Sand(cft)	097/26.02.2022	M/S National Tiles &Construction	150	38	5700	स्टॉक प्रविष्टिया प्रस्तुत नही की गई
		Agg.(cft)			280	35	9800	
16.14TH FC	P/27/30.01.2023	Sand(cft)	00229/14.05.2022	do	10	52	520	स्टॉक प्रविष्टिया प्रस्तुत नही की गई
		Agg.(cft)			10	48	480	

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत टम्बर
विकास खण्ड लम्बागांव
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

17.SF	P/46/30.01.2023	Stationary	0220/03.01.2023	M/s Prakash Printing Press Jaisinghpur			4300	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
18.14TH FC	P/28/30.01.2023	Sand(cft) Agg.(cft) Cement Carg. Shuttering(sqft)	245/05.12.2022	M/S Pardeep Singh Bhagoon Tamber	568 1136 120 398	52 48 29 21	29536 54528 3480 8358	रेत,बजरी की स्टॉक प्रविष्टिया नही की गई तथा सीमेंट ढुलाई व शटरिंग की दो निविदाये प्रस्तुत की गई
19.14TH FC	29/30.01.2023	Altra Birla UPVs Pipe (75mm)	00201/19.12.2022	M/s B.S Traders Tamber			2000	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नही की गई
20.14TH FC	31/31.01.2023	Asian Wall Puti Bag	0008/12.12.2022	M/s Aditya General Store Tamber	10	600	6000	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
21.14TH FC	31/31.01.2023	Asian Wall Puti Bag	0009/20.12.2022	M/s Aditya General Store Tamber	19	600	11400	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
22.15TH FC	P/10/09.01.2023	Sand(cft) Agg.(cft)	080/28.10.2021	M/S National Tiles &Construction Sunjanpur	346 412	38 35	13148 14420	स्टॉक प्रविष्टिया प्रस्तुत नही की गई
23.NREGA	102/11.01.2023	Cement Bag	194/21.12.2022	H.P civil supply Lambagaon	80	392.15	31372	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
24.NREGA	100/11.01.2023	Cement Bag	193/21.12.2022	H.P civil supply Lambagaon	26	392.15	10195.9	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
25.NREGA	101/11.01.2023	Cement Bag	192/21.12.2022	H.P civil supply Lambagaon	128	392.15	50195.2	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
26.SF	P/7/15.03.2024	HP Laptop Pro Book(Including GST)	614/19.04.2023	M/s Computer Solution Upper Lambagaon	1	47800	47800	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
27.SF	P/8/15.03.2024	Refill of Ink ,Repair of Canon	743/08.09.2023	do			3500	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
28.SF	P/6/15.03.2024	Plastic Chair	093/01.11.2023	M/s Sai Steel Industry Jaisinghpur	75	625	46875	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
29.SF	P/8/15.03.2024	Piller Heater	0874/20.22.2023	M/s Rana Electronics Jaisinghpur			2800	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
30.SF	P/8/15.03.2024	Stationary	595/05.03.2024	Prakash Printing Press Jaisinghpur			1250	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
							857773.10	

नोट:- 1. क्रम संख्या 1(3), 3(3), 6, 17, 18(3,4), 20, 21, 27 की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया।

2. क्रमसंख्या 1 से 30 तक, (1(3), 3(3), 18(3,4) के अतिरिक्त) की स्टॉक प्रविष्टियों का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया है।

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत टम्बर
विकास खण्ड लम्बागांव
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

परिशिष्ट – 7 (पैरा संख्या – "8.3")

ग्राम पंचायत टमबर विकास खण्ड लम्बागांव द्वारा कय की गई खनन निर्माण सामग्री								
क.स	अनुदान	वाउचर स. /दिनाक	आपूर्तिकर्ता	बिल स. /दिनांक	सामग्री	मात्रा	दर	राशि
1	14TH FC	P/14/30.01. 2023	M/s Pardeep Singh Bhagoon Tamber	00157/21.03. 2022	Sand	380	52	19760
					Agg	260	48	12480
2	14TH FC	P/15/31.01. 2023	do	00227/22.03. 2022	Sand	226	52	11752
					Agg	217	48	10416
3	14TH FC	P/16/30.01. 2023	do	00175/22.03. 2022	Sand	175	52	9100
					Agg	75	48	3600
4	14TH FC	P/26/30.01. 2023	M/s National Tiles &Construction Sujanpur	097/26.02.20 22	Sand	150	38	5700
					Agg	280	35	9800
5	14TH FC	P/27/30.01. 2023	M/s Pardeep Singh Bhagoon Tamber	00229/14.05. 2022	Sand	10	52	520
					Agg	10	48	480
6	14TH FC	P/28/30.01. 2023	M/s Pardeep Singh Bhagoon Tamber	00245/05.12. 2022	Sand	568	52	29536
					Agg.Crasher	1136	48	54528
7	15TH FC	P/10/02.01. 2023	M/s National Tiles &Construction Darla Sujanpur	080/28.10.20 21	Sand	346	38	13148
					Agg.Crasher	412	35	14420
8	NREGA	95/18.01.20 23	M/s Pardeep Singh Bhagoon Tamber	242/10.12.20 22	Sand	200	52	10400
					Boulder	110	45	4950
						Total		**210590**

नोटः—उपरोक्त खनन निर्माण सामगी ग्राम पंचायत द्वारा x or w फॉर्म प्राप्त किये बिना ही कय की गई है।

Technical Assistant
Gram Panchayat
Dev. Block Lambagaon
Distt. Kangra (H.P)

Pradhan
Secy
Gram Panchayat TAMBAR
Dev. Block Lambagaon
Distt. Kangra (H.P.)

34

परिशिष्ट – 8 (पैरा संख्या – 6.2)

OFFICE OF THE GRAM PANCHYAT TAMBER BLOCK LAMBAGAON FOLLOWING BANKS ACCOUNT HAVE BEEN CLOSED AND BALANCE TRANSFER TO OWN SOURCE IN THE YEAR 2023-24

SR.NO.	HEAD	A/C NO/BANK NAME	BANK	AMOUNT
1	14TH FC	50058330712	KCCB L/GAON	447070
2	AAY	20019045523	DO	3566
3	GRDY	50058330983	DO	51137
4	RAY	50059698549	DO	474
5	MPLAD	50058330789	DO	5993
6	MMGAY	50061163972	DO	69005
			TOTAL	**577245**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत टम्बर
विकास खण्ड लम्बागांव
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

35

Each audit

discussed in detailed wi

emphasized for taking ea

pending audit paras in wh

Department through Dis

observed by the committ

respective panchyat were

reply was "the recoveri

committee has apprised

to be made by the pres